Subject-Constitutional Law of India E-Content

Class II Sem –

Dr. Nishat Jhan Law Department N.A.S. (P.G) College Meerut

Ques – Write a note on 'Emergency provisions in the Constitution of India –

Provisions regarding proclamation of Emergency.

आपात उद्घोषणा सम्बन्धी प्रावधान

संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति तीन दशाओं में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।

1 – युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की दशा में, अनु० 352

2. किसी राज्य में संवैधानिक तन्त्र के विफल होने की दशा मे अनु० 356

3. वित्तीय संकट उत्पन्न होने की दशा में – अनुच्छेद — 360

1 – युद्ध या बाह्य आक्रमण या ~~सशस्त्र~~ सशस्त्र विद्रोह होने की दशा मे आपात की उद्घोषणा – अनुच्छेद – 352

अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत जब राष्ट्रपति को समाधान हो जाये कि गम्भीर आपात स्थिति पैदा हो गयी है जिससे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को –

1 युद्ध (war)

2. बाहरी ~~आक्रमण~~ आक्रमण (External aggression)

3. सशस्त्र आन्तरिक विद्रोह (Armed rebellion)

के कारण खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह सम्पूर्ण भारत मे

या उसके किसी भाग मे आपात की उदघोषणा कर सकता है।

42 वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारत के किसी भाग के लिये उदघोषणा की व्यवस्था नही थी।

उदघोषणा के लिये यह आवश्यक नही है कि वास्तव मे युद्ध, बाहरी आक्रमण, या आन्तरिक सशस्त्र विद्रोह हो ही। राष्ट्रपति के लिये यह प्रर्याप्त है कि उक्त तीनो प्रकारो मे से किसी का भी खतरा उत्पन्न हो गया हो। या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति का समाधान Satisfaction of President

राष्ट्रपति का, आपात उदघोषणा के लिये होने वाला समाधान, निश्चायक होता है।

संविधान का (44वां संविधान संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के खण्ड (3) को प्रतिस्थापित करके यह स्पष्ट उपबन्ध कर दिया गया है कि राष्ट्रपति कोई आपात उदघोषणा जारी नही करेगा जब तक की उसको मंत्रीपरिषद का लिखित निर्णय न प्राप्त हो जावे।

प्रक्रिया सम्बन्धी निर्बन्धन - Procedural Restrictions

राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उदघोषणा कर सकता है। तथापि ऐसी प्रत्येक उदघोषणा संसद के दोनो के समक्ष रखी जायेगी यदि एक माह की अवधि के अन्दर संसद के दोनो सदन उदघोषणा का अनुमोदन नही कर देते तो उस अवधि के बाद उदघोषणा प्रवर्तित नही रहेगी।

संसद द्वारा अनुमोदित होने पर उपर्युक्त उदघोषणा जब तक की उसे रद्द नही किया जाता है, अनुमोदन की तिथि के 6 महा

Subject Constitutional of India

तक लागू रहेगी और पुनः संसद द्वारा अनुमोदित होने पर, प्रत्येक बार 6 माह तक लागू रहेगी।

यदि किसी समय राष्ट्रपति यह समझे कि उद्घोषणा की आवश्यकता समाप्त हो गयी है तो वह उसे प्रतिसंहरण Revoke कर सकता है।

आपात की उद्घोषणा का परिणाम या प्रभाव - Effect of Proclamation

आपात की उद्घोषणा का प्रभाव इस प्रकार है।

1 - संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना

2. संघ द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति -

3. लोकसभा की अवधि मे एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है :-

4. केन्द्र व राज्यों के बीच वित्तीय सम्बन्धों मे परिवर्तन :-

5. अनुच्छेद 19 मे वर्णित मूल अधिकारों का निलम्बन -

6. मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन :—

माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य A.I.R 1964 S.C 381

मे सुप्रीमकोर्ट ने निर्धारित किया कि " कितने समय तक आपात की उद्घोषणा जारी रहे और आपात के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों पर कौन से निर्बन्धन लगाये जायें ये ऐसे मामले है जिनको कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिये क्योंकि कार्यपालिका परिस्थिति की आवश्यकताओं तथा बाध्यकर कारणों के बारे मे जानती है, जो ऐसे गम्भीर संकट मे होते है जैसा हमारे देश के के सामने है।"